न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/313
दायरा तिथि : 05.08.2022
आदेश तिथि : 31-03-23

प्रार्थी :–

1. नेनाराम पुत्र रूपाराम
2. सखाराम पुत्र रूपाराम जातिगण जणवा चौधरी निवासीगण धणी तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. मांगीलाल पुत्र भीकाराम जाति लोहार
2. राजेन्द्र पुत्र पुखराज जाति लोहार
3. मुकेश पुत्र पुखराज जाति लोहार
4. नरेन्द्र पुत्र पुखराज जाति लोहार
5. गीता पत्नी पुखराज जाति लोहार
6. अनीता पुत्री पुखराज जाति लोहार
7. तरूणा पुत्री पुखराज जाति लोहार
8. जमनो पुत्री भीकाराम जाति लोहार
9. सुगनो पुत्री भीकाराम जाति लोहार
10. सोनी पुत्री गलाराम जाति सीरवी
11. हकिया पुत्र लुम्बाराम जाति सीरवी
12. तेजाराम पुत्र गलाराम जाति सीरवी
13. रताराम पुत्र गलाराम जाति सीरवी
14. सुजाराम पुत्र गलाराम जाति सीरवी
15. हरनाथराम पुत्र गलाराम जाति सीरवी
16. देवाराम पुत्र गला जाति सीरवी
17. वेलाराम पुत्र गला जाति सीरवी
18. किरणसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत
19. महिपालसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत
20. छगनकंवर पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपूत
21. दिव्याकंवर पुत्री प्रेमसिंह जाति राजपूत
22. सुरजकंवर पुत्री प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासीगण धणी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 31-03-23

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 35 रकबा 0.9500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 72, 39, 48 रकबा क्रमशः 0.8100, 0.5700, 1.7300 हैक्टर मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/3338 दिनांक 28.11.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम धणी के खसरा नंबर 35 रकबा 0.9500 हैक्टर की भूमि प्रार्थी श्री नैनाराम पुत्र रूपाराम जाति चौधरी व सखाराम पुत्र रूपाराम जाति चौधरी निवासी धणी तहसील बाली के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में खसरा नंबर 72, 48, 49 के खातेदारों द्वारा निकलने नहीं दिया जा रहा है। जिससे आवागमन बंद है।
2. यह है कि मौके के अनुसार आवेदक एवं अन्य सभी आगे के खातेदार खसरा नंबर 128 गै.मु. रास्ता से आना जाना करते है। यह रास्ता मौका एवं रेकर्ड में दर्ज है। खसरा नंबर 128 गै.मु. रास्ता जहां पर समाप्त होता है। उससे आगे खसरा नंबर 73 गै.मु.बाली मौका पर एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। यह नया रास्ता नजरी नक्शा के अनुसार खसरा नंबर 73 गै.मु.बाली को छोडते हुये आगे खसरा नंबर 48 एवं 49

पेज लगातार.....02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/313

अनवान नेनाराम बनाम मांगीलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

के बीच की माठ पर दोनों ओर से 2–2 मीटर लेते हुये सीधे खसरा नंबर 35 तक दिया जाना उचित है। खसरा नंबर 39 में से रास्ता देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आवेदक खातेदार ने खसरा नंबर 72, 48 व 39 में से रास्ता चाहा गया है। जो कि लंबा एव सुविधाजनक नहीं है। इस प्रकार नया रास्ता खसरा नंबर 72, 48 व 49 में से निम्न रकबा रास्ता के रूप में दिया जा सकता है।

3. यह है कि प्रस्तावित ग्राम धणी की भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	72	0.81	बंजड	184X4=736 वर्गमीटर	अनीता पुत्री पुखराज वगैरा
2	49	1.97	चा.प्र. जा.अ.	230X2=460 वर्गमीटर	हकाराम पुत्र लुम्बाराम जाति सीरवी
3	48	1.73	चा.प्र. जा.अ.	230X2=460 वर्गमीटर	अनीता पुत्री पुखराज वगैरा

4. प्रस्तावित भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 72 की किस्म बंजड जिसकी डी.एल.सी. दर 17846/– रूपये प्रति हैक्टर व खसरा नंबर 48 व 49 किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल की डी.एल.सी. दर 290682/– रूपये प्रति हैक्टर है।

5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 के कामु, 18, 19, 20, 21, 22 बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5, 8, 11, 12 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश पारंगी ने आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की धारित खातेदारी भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 35 में आवागमन के लिये प्रार्थी खसरा नंबर 35 के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नंबर 34/2 से होकर 34/2 से सटते गैर मुमकिन रास्ता से आवागमन करते आ रहे है। मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियम से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 72, 48, 39 में से रास्ता चाहा है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी ने बहस में तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को धारा 251 ए के तहत नया रास्ता उपलब्ध कराये जाने की दलील दी। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1, 3, 5, 8, 11, 12 के अधिवक्ता श्री कैलाश पारंगी द्वारा अपील में वर्णित या उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि आवेदक प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नंबर 34/2 से सटता गैर मुमकिन रास्ता मौजूद है तथा उक्त रास्ते से ही प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होने से सुविधा के अनुसार धारा 251 ए के तहत नया रास्ता उपलब्ध कराया जाना नियमों से प्रतिबंधित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थीगण के आवेदन पत्र पर तहसीलदार बाली से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा जांच रिपोर्ट में तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त कोई विकल्प न होने से खसरा नंबर 72, 48, 49 में से आपत्ति जरूर की गई कि आवेदक के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये खातेदारी भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नंबर 34/2 से सटता गैर मुमकिन रास्ता मौजूद हो। जिससे तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के संबंध में किसी प्रकार का संदेह करना नयायसंगत प्रतीत नहीं है तथा माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली प्रार्थीगण को नवीन रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 35 रकबा 0.9500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये ग्राम धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 72, 49, 48 रकबा क्रमशः 0.8100, 1.9700, 1.7300 हैक्टर मेंसे **736+460+460=1656 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

पेज लगातार..... 03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/313

अनवान नेनाराम बनाम मांगीलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि बंजड डी.एल.सी. दर 17846/– तथा चाही प्रथम व जाव अव्वल की डी.एल.सी. दर 290682/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
72	0.81	184X4=736 वर्गमीटर	1.80	1325X2= 2650	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
49	1.97	230X2=460 वर्गमीटर	29	13340X2= 26680	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
48	1.73	230X2=460 वर्गमीटर	29	13340X2= 26680	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
		कुल 1656 वर्गमीटर		कुल राशि 56010	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि **56010/– (अक्षरे छप्पन हजार दस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे सुनेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 31-03-23

क्रमॉक/कोर्ट/2023/231-35

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, धणी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक नेनाराम पुत्र रूपाराम जाति जणवा चौधरी निवासी धणी वगैरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner